राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12 (07) राज/वाद/2024 जयपुर, दिनांकः 03/02/2026

समस्त अतिरिक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता,
माननीय राज0उंच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।

:: परिपत्र ::

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 15(12)राज/वाद/06 पार्ट–1 दिनांक 22.07.14, प. 12(2)राज/वाद/19 दिनांक 20.01.23 व प.12(7)राज/वाद/24 पार्ट दिनांक 10.10.25 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के महत्वपूर्ण प्रकरणों में अतिरिक्त महाधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल्स को राज्य सरकार की ओर से पैरवी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त परिपत्र दिनांक 22.07.14, 20.01.23 एवं 10.10.25 की निरंतरता में उच्च स्तर से निर्णय लिया गया है कि अत्यधिक वित्तीय भार के प्रकरण तथा ऐसे प्रकरण जिनमें किसी नियम/अधिनियम/अधिसूचना या पॉलिसी को चुनौती दी गयी है, में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता स्वयं पैरवी किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्त प्रकार के प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट प्रकरण की सुनवाई के पश्चात अविलम्ब यथासंभव एक–दो दिवस में इस विभाग को प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

03/02/2026

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित ऐसे प्रकरणों की सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. एनालस्टि कम प्रोग्रामर सह उप निदेशक, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

03/02/2026

प्रमुख शासन सचिव,विधि